

12. क्या आवेदित भूमि वासीगत/पूजा/सिकमा भूमि के अन्तर्गत पड़ता है ?

नहीं

13. हत्का कर्मचारी का मन्तव्य ... सेवा में

अ० अ० / अ० निठ  
याकुभिया

महाशय, आवेदित भूमि मौजा-मौरावाधी

0.08 अ० भूमि खखल कलम में मुनधरी वाली के नाम से दर्ज है परन्तु  
14. अन्तर्गत निजीयतिका का आयालय  
अन्तर्गत अंशीदार रंथत जीवन खैरा के पोते ① भूवातारण खैरा ② शकुधन  
खैरा पिता रंथत खनन्त खैरा के द्वारा उक्त प्लॉट नं-265 रकबा-0.08  
ए० भूमि को वाला दलिल सं-1568 दिनांक 23/8/22 के द्वारा क्रेता  
को विक्री किये हैं। परन्तु आवेदक द्वारा वंशावली की अन्तर्गत अंशीदारों  
से NOC मांग कि गई थी परन्तु NOC अर्पण है खखलियानी रंथत के  
वंशावली के अनुसार बाकी अन्तर्गत अंशीदारों से NOC देने के परचात  
नामाप्तरण किया जा सकता है।

अतः वर्तमान में आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

अस्वीकृत